भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3648
दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गर्भवती महिलाओं की मृत्यु

3648. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोलः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कर्नाटक के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपेक्षा और हानिकारक दवाओं के उपयोग के कारण प्रसूति ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस गंभीर मामले की जांच करने हेतु किसी जांच समिति/दल का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कर्नाटक राज्य सरकार के साथ परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;
(घ) क्या सरकार की मृतक के परिवारों और उनके बच्चों को उनकी शिक्षा और आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई विशेष योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश में मातृ मृत्यु को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) कर्नाटक राज्य से मातृ मृत्यु के बारे में प्राप्त जानकारी में मातृ मृत्यु की रोकथाम के लिए राज्य द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का विवरण दिया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा सभी मातृ मृत्यु मामलों की लेखापरीक्षा।
- कौशल, कार्यान्वयन और समन्वय की कमियों को दूर करने के लिए सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए राज्य और जिला स्तर पर मार्गदर्शन।
- निचले स्तर के अस्पतालों से उच्चतर स्तर के अस्पतालों में रेफरल के दौरान स्थानांतरण प्रोटोकॉल की निगरानी करना।

- दवाओं, उपकरणों, मानव संसाधनों की उपलब्धता और सफाई की जांच करने के लिए अस्पताल प्रमुख द्वारा दिन में दो बार प्रसव कक्ष और ऑपरेशन थियेटर का अनिवार्य दौरा।
- अस्पतालों को प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
- विगत 2 माह में राष्ट्रीय स्तर के प्रसूति विशेषज्ञों द्वारा राज्य में सभी स्तर के प्रसूति विशेषज्ञों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया है।
- सभी ताल्लुक अस्पतालों की रक्त भंडारण इकाइयों में रक्त के विभिन्न घटकों को संग्रहीत करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं को रक्त घटकों की आपूर्ति में सुविधा हो रही है।
- एनीमिया के उपचार के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में दवाओं की आपूर्ति की जाती है।
- पोषण और जागरूकता के महत्व के बारे में सभी गर्भवती महिलाओं को परामर्श दिया जाता है।
- **कर्नाटक राज्य द्वारा प्रदान की गई नवीनतम जानकारी के अनुसार, 5 मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा वितरित किया गया है।**

भारत सरकार विभिन्न तरीकों से मातृ मृत्यु दर की निगरानी करती है:

- मातृ मृत्यु और निगरानी प्रतिक्रिया (एमडीएसआर) की प्रणाली की स्थापना, जो मातृ मृत्यु की पहचान, सूचना और समीक्षा की एक सतत शृंखला है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्र के दौरे करके और सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) में समय-समय पर क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों और मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा करना।
- एचएमआईएस और आरसीएच पोर्टल मातृ स्वास्थ्य संकेतकों की रिपोर्ट करने, समीक्षा करने और निगरानी करने तथा नीति निर्माण और कार्यक्रम अंतःक्षेपों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए प्रमुख उपकरण हैं।
- पत्रों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि सहित राज्य सरकारों के साथ कई चैनलों के माध्यम से संप्रेषण।

(ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य सहित देश में मातृ मृत्यु को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं;

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मांग संवर्धन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** प्रत्येक गर्भवती महिला को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सीजेरियन सेक्शन सहित निःशुल्क प्रसव के साथ-साथ निःशुल्क परिवहन, निदान, दवाइयां, रक्त, अन्य उपभोग्य सामग्रियों और आहार के प्रावधान हेतु पात्रता प्रदान करता है।

- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** में गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रसूति रोग विशेषज्ञ/विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन, निःशुल्क

सुनिश्चित और गुणवत्तापरक प्रसवपूर्व जांच का प्रावधान है। गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (एचआरपी) वाली महिलाओं के लिए गुणवत्तापरक एएनसी सुनिश्चित करने और सुरक्षित प्रसव होने तक व्यक्तिगत एचआरपी ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए **विस्तारित पीएमएसएमए** कार्यनीति शुरू की गई थी। इसके लिए चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और उनके साथ आने वाली आशाकर्मी को पीएमएसएमए विजिट के अलावा तीन अतिरिक्त विजिट के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

- **लक्ष्य** कार्यक्रम प्रसूति कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थियेटर में परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण परिचर्या प्राप्त हो सके।

- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को नि:शुल्क, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है और सभी रोकी जा सकने वाली मातृ और नवजात मृत्यु को समाप्त करने के लिए सेवाओं की प्रदायगी करने से इनकार करने पर शून्य सहनशीलता बरती जाती है।

- **मातृ प्रसवकालीन शिशु मृत्यु निगरानी अनुक्रिया (एमपीसीडीएसआर)** सॉफ्टवेयर ऑनलाइन डेटा रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अंत:क्षेपों को मजबूत करने के लिए सूचना प्रदान करके मातृ एवं नवजात मृत्यु की तत्समय पर निगरानी की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- **प्रसवोत्तर परिचर्या को इष्टतम** करने का उद्देश्य माताओं में खतरे के संकेतों का पता लगाने और ऐसी उच्च जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं की शीघ्र पहचान, रेफरल और उपचार के लिए आशाकर्मी को प्रोत्साहित करने पर जोर देकर प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता को मजबूत करना है।

- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों तक पहुँच में सुधार करने के लिए दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में जन्म प्रतीक्षा गृह (बीडब्ल्यूएच) स्थापित किए गए हैं।

- मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) आईसीडीएस के साथ मिलकर पोषण सहित मातृ और बाल परिचर्या के प्रावधान के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक आउटरीच कार्यकलाप है।

- स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सुलभता में सुधार करने के लिए खासकर जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में आउटरीच शिविरों का प्रावधान किया गया है, इस मंच का उपयोग मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं को ट्रैक करने के लिए किया जाता है।

****